



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-2, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 17 मार्च, 2005
फाल्गुन 26, 1926 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1

संख्या 401/सात-वि-1-1(क)4-2005
लखनऊ, 17 मार्च, 2005

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2005 पर दिनांक 16 मार्च, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अधिनियम, 2005

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2005)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 27 फरवरी, 2004 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या 2
सन् 1916 की धारा
48 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 48 में :-

(क) उपधारा (2) में निम्नलिखित परन्तुक अंत में बढ़ा दिया जायेगा,

अर्थात् :-

“परन्तु जहां राज्य सरकार को यह विश्वास करने का कारण हो कि आरोप निराधार नहीं प्रतीत होते हैं और इस उपधारा के किसी आधार पर अध्यक्ष प्रथम दृष्टया दोषी है जिसके परिणामस्वरूप उस पर इस उपधारा के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी की जाती है और कार्यवाही की जाती है तो वह आरोप युक्त कारण बताओ नोटिस के जारी होने के दिनांक से, अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का प्रयोग, निष्पादन और निर्वहन करने से तब तक प्रविरत रहेगा जब तक कि इस उपधारा के अधीन उसको जारी कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित आरोपों से उसे वियुक्त न कर दिया जाय और उपधारा (2-क) के अधीन कार्यवाहियों का समापन न हो जाय और प्रविरत रहने की ऐसी अवधि के दौरान अध्यक्ष की उक्त शक्तियों, कृत्यों तथा कर्तव्यों का प्रयोग, निष्पादन और निर्वहन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा या उसके द्वारा नामित किसी अधिकारी, जो डिप्टी कलेक्टर से निम्न पंक्ति का न हों, के द्वारा किया जायेगा।”

(ख) उपधारा (2-क) जैसी कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2004) द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2004 को बढ़ायी गयी थी, निकाल दी जायेगी।

विधिमन्त्रीकरण

3-उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अधिनियम, 2004 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानों यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

निरसन और
अपवाद

4-(1) उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2005 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या 4 सन्
2005

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

नगर पालिका के अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस के जारी होने के दिनांक से उसके ऐसे वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग, कृत्यों के निष्पादन और कर्तव्यों के निर्वहन, जिनके सम्बन्ध में सरकार को यह विश्वास करने का कारण हो कि वह उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 48 की उपधारा (2) में उल्लिखित किसी आधार पर प्रथम दृष्टया दोषी है, से तब तक विरत रखने, जब तक कि कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित आरोपों से उसे विद्युत् न कर दिया जाय और उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2004 द्वारा बढ़ाई गयी उपधारा (2-क) को निकालने की व्यवस्था करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया कि सन् 1916 के उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को तुरन्त कार्यान्वित करने के लिए विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 24 जनवरी, 2005 को उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2005) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
धर्म वीर शर्मा,
प्रमुख सचिव।

No. 401/VII-V-1-1(Ka)4-2005
Dated Lucknow, March 17, 2005

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Palika (Sanshodhan) Adhiniyam, 2005 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 2 of 2005) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 16, 2005.

THE UTTAR PRADESH MUNICIPALITIES (AMENDMENT)
ACT, 2005

[U.P. Act No. 2 of 2005]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

- | | |
|--|---|
| 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Municipalities (Amendment) Act, 2005. | Short title and commencement. |
| (2) It shall be deemed to have come into force on February 27, 2004. | |
| 2. In section 48 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916, hereinafter referred to as the principal Act,— | Amendment of section 48 of U. P. Act no. 2 of 1916. |

(a) in sub section (2) the following proviso shall be inserted at the end, namely :—

“Provided that where the State Government has reason to believe that the allegations do not appear to be groundless and the President is *prima facie* guilty on any of the grounds of this sub-section resulting in the issuance of the show cause notice and proceedings under this sub-section he shall, from the date of issuance of the show cause notice containing charges, cease to exercise, perform and discharged the

financial and administrative powers, functions and duties of the President until he is exonerated of the charges mentioned in the show cause notice issued to him under this sub-section and finalization of the proceedings under sub-section (2-A) and the said powers, functions and duties of the President during the period of such ceasing, shall be exercised, performed and discharged by the District Magistrate or an officer nominated by him not below the rank of Deputy Collector”;

(b) sub-section (2-A) as inserted on February 27, 2004 by the Uttar Pradesh Municipalities (Amendment) Act, 2004 (U. P. Act no. 6 of 2004) shall be omitted.

Validation

3. Anything done or any action taken under the principal Act as amended by the Uttar Pradesh Municipalities (Amendment) Act, 2004 shall be deemed to have been done or taken under this Act as if this Act were in force at all material times.

Repeal and Saving

4. (1) The Uttar Pradesh Municipalities (Amendment) Ordinance, 2005, is hereby repealed.

U. P.
Ordinance
no. 4 of
2005

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to providing for refraining the President of a Municipality from exercising, performing and discharging the financial and administrative powers, functions and duties of his office in respect of whom the State Government has reason to believe that he is *prima facie* guilty on any of the grounds mentioned in sub-section (2) of section 48 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 from the date of issuance of show cause notice till he is exonerated of the charges mentioned in the show cause notice and omitting sub-section (2-A) as inserted by U. P. Act no. 6 of 2004, it was decided to amend the said Act of 1916.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decisions, the Uttar Pradesh Municipalities (Amendment) Ordinance, 2005 (U. P. Ordinance no. 4 of 2005) promulgated by the Governor on January 24, 2005.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
D. V. SHARMA,
Pramukh Sachiv